

Date
29-
03-
2021

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, 21 बने-अधबने अवैध शस्त्र, 04 जिंदा कारतूस तथा भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण सहित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

मु0अ0सं0— 79/2021 धारा— 5/25 शस्त्र अधिनियम बनाम— शहजाद उर्फ मैगी व अन्य **दिनांक घटना— 28.03.2021 घटनास्थल—** ग्राम परमावाला जाने वाली नहर पटरी पर स्थित नीले डैम के पास सिंचाई विभाग के बन्द पड़े खण्डहर में।

घटना का संक्षिप्त विवरण

आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अवैध शस्त्रों का निर्माण एवं क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नगीना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 28.03.2021 को ग्राम परमावाला जाने वाली नहर पटरी पर स्थित नीले डैम के पास सिंचाई विभाग के बन्द पड़े खण्डहर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते 02 व्यक्ति 1— शहजाद उर्फ मैगी 2— शहजाद को भारी मात्रा में बने शस्त्र 01 बन्दूक 12 बोर, 04 तमन्चा 315 बोर, 06 अधबने तमन्चे, 03 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 12 बोर, 01 खोखा कारतूस 12 बोर, 10 लोहे की छोटी बडी नाल, शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण आरी, हथौड़ी, रेती आदि सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 79/21 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण—

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि वह काफी समय से अवैध शस्त्रों का निर्माण कर उसका विक्रय करने का काम रहे है। पंचायत चुनाव के चलते अवैध शस्त्रों की माँग बहुत बढ़ गयी है। इसलिये हम भारी मात्रा में अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे। अवैध शस्त्र तैयार कर हम बन्दूक 20,000 रुपये तथा तमन्चे को 5,000—10,000 रुपये प्रति के हिसाब से बेच देते है। अभि0गण द्वारा अवैध शस्त्रों का बिक्रय कहाँ-कहाँ किया है, इसकी जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

- 1—शहजाद उर्फ मैगी पुत्र मोसिन निवासी मौहल्ला जाफतागंज, कस्बा व थाना नजीबाबाद
- 2—शहजाद पुत्र युसुफ निवासी मौहल्ला मेहन्दी बाग, कस्बा व थाना नजीबाबाद



बरामदगी का विवरण

- 1-01 बन्दूक 12 बोर
- 2-04 तमन्चा 315 बोर
- 3-16 अधबने तमन्चे
- 4-03 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 5-01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 6-01 जिंदा कारतूस 12 बोर
- 7-01 खोखा कारतूस 12 बोर
- 8-शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण आरी, हथौड़ी, रेती आदि

आपराधिक इतिहास अभि० शहजाद उर्फ मैगी उपरोक्त:-

1. मु०अ०सं० 89/21 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद बनाम शहजाद उर्फ मैगी पुत्र मोसिन नि० मौ० जाफतागंज कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 335/16 धारा 380,411 भादवि थाना कोटद्वार जनपद पौड़ीगढवाल (उत्तराखण्ड)
3. मु०अ०सं० 72/17 धारा 380,411,34 भादवि थाना कोटद्वार जनपद पौड़ीगढवाल (उत्तराखण्ड)

आपराधिक इतिहास अभि० शहजाद उपरोक्त:-

1. मु०अ०सं०-558/19 धारा 3/8 गौवध अधि० व 11 (3) पशु क्रूरता अधि० बनाम शहजाद पुत्र मौ० युसुफ नि० मौ० मेहन्दी बाग कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 406/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट शहजाद पुत्र मौ० युसुफ नि० मौ० मेहन्दी बाग कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- श्री उदय प्रताप सिंह थानाध्यक्ष नगीना देहात, 2. उ०नि० अजेन्द्र कुमार, 3. उ०नि० रामवीर सिंह, 4. का० 1509 सोवरन, 5. का० 689 गौरव, 6. का० 740 विपिन मान, 7. का० 760 वरुण, 8. का० 241 सुमित, 9. का० 1094 बबलू, 10. का० 995 संजय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

थाना शेरकोट:— आज दिनांक 29.03.2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभि० अमर सिंह पुत्र जसराम निवासी साहअली पुर नीचल उर्फ मंधोर थाना शेरकोट को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना शेरकोट पर मु०अ०सं० 47/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया है।



थाना नजीबाबाद:— आज दिनांक 29.03.2021 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाना नजीबाबाद पर पंजीकृत मु०अ०सं० 165/21 धारा 308/325/504 भादवि० के वांछित अभि०गण 1—अफसर पुत्र लतीफ, 2—मौ० शाहरूख, 3—रिजवान पुत्रगण मौ० नईम निवासीगण ग्राम किशोरपुर उर्फ रम्मनवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

